सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.: NCST-04/0Mon(DL)/2/2024-RMDC — दिनांक: 06.05.2024

सेवा में

श्री आर. पाइते
प्रबंध निदेशक,
ट्राईफेड (TRIFED)
NSIC, MPBP Building, भू-तल, कोर 07-12,
ओखला फेस - III, ओखला इंडस्ट्रियल इसटेट, नई दिल्ली - 110020
ए-मेल: cmd.nstfdc@gmail.com; दूरभाष: 011-26712519

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 23.04.2024 को अपराह्न 03:00 बजे ट्राईफेड द्वारा दिये प्रस्तुतीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर ट्राईफेड द्वारा श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राईफेड) का संगठनात्मक संरचना एवं कार्य, कुल स्वीकृत पद (पदवार) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद एवं वर्तमान स्थिति, आवंटित एवं उपयोग की गयी राशि तथा क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में दिये गए प्रस्तुतीकरण के कार्यवृत संलग्न करने का निदेश हुआ है।

आपसे निवेदन है कि प्रस्तुतीकरण के समय आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा सुझाए गए बिन्दुओं पर समुचित कार्यवाई करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर. एस. मिश्र
अनुसंधान अधिकारी (RMDC)
दूरभाष: 011-24641640

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फ़ाइल : NCST-04/0Mon(DL)/2/2024-RMDC

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राईफेड) का संगठनात्मक संरचना एवं कार्य, कुल स्वीकृत पद (पदवार) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद एवं वर्तमान स्थिति, आवंटित एवं उपयोग की गयी राशि तथा क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में, श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षयता में दिनांक 23.04.2024 को पूर्वाह्न 12.30 बजे (पुनः स्थापित 03:00 बजे) किए गए प्रस्तुतीकरण के कार्यवृत्त:

प्रस्तुतीकरण की बैठक के प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक पर है।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी), भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) का मुख्य कार्य अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और समाजिक-आर्थिक विकास की देखभाल करना है। यह अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न शिकायतों की जांच एवं उनपर अपनी संस्तुति करता है जिससे संवैधानिक प्रावधानों, आदेशों, नियमों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हो सके। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबन्धित नीतिगत मामलों में सलाह भी देता है। संविधान के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार, माननीय राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के कल्याणकारी एवं विकास से संबन्धित मामलों पर वार्षिक एवं समय समय पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है।

3. संविधान के अंतर्गत दिये गए प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने निर्णय लिया कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राईफेड), नई दिल्ली द्वारा आयोग के समक्ष ट्राईफेड के संगठनात्मक संरचना एवं कार्य, कुल स्वीकृत पद (पदवार) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद एवं वर्तमान स्थिति, क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों तथा विगत तीन एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष – 2024-25 में आवंटित एवं उपयोग की गयी राशि का विवरण के संबंध में प्रस्तुतीकरण करें।

4. आयोग की माननीया सचिव ने प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों का परिचय कराया तथा बैठक का उद्देश्य बताया। तत्पश्चात, प्रबंध निदेशक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राईफेड) तथा ट्राईफेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना स्वयं का

परिचय दिया तथा प्रस्तुतीकरण से पूर्व, आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

5. ट्राईफेड के वरिष्ठ अधिकारी ने मुख्य बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण किया वह इस प्रकार हैं: ट्राईफेड की स्थापना, उद्देश्य एवं संगठनात्मक संरचना; ट्राईफेड की देश में उपस्थिति; मानव संसाधन (स्वीकृत पद, पदस्थापित, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद एवं रिक्तियां); ट्राईफेड द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ [PMJVM – प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (2019 में प्रारम्भ); PM JANMAN – प्रधान मंत्री आदिवासी जन जाती न्याय महा अभियान (2023 में प्रारम्भ); PTP-NER (पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना (2023 में प्रारम्भ)]; PMJVM के अंतर्गत MFP के लिए MSP (वर्ष 2013-14 से 2023-24 तक खरीद); लघु वन उपजों के अंतर्गत अधिसूचित 86 वस्तुओं के नाम (मई 2020 तथा नवम्बर 2020 से लागू); राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा लघु वन उपजों की वर्षवार खरीद (वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक); MFP की MSP के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास हेतु राज्यवार जारी की गयी धनराशि का विवरण (वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक); वन धन योजना – संकल्पना, कार्यान्वयन एवं निगरानी (25 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू); वन धन योजना के अंतर्गत प्रगति का विवरण (2021-22 से 2023-24 तक); वन धन विकास केन्द्रो की झलक; PMJANMAN (VDVKS) 15 नवम्बर 2023 को PVTG (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों) के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गयी योजना की पृष्ठभूमि; PMJANMAN की देश में राज्यवार स्थिति (15 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश की सूचना); ट्राईफूड योजना (जो ट्राइफेड एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक संयुक्त पहल) का उद्देश्य एवं परियोजनाओं का विवरण (जिला – जगदलपुर (छत्तीसगढ़ राज्य) एवं जिला – रायगढ़ (महाराष्ट्र राज्य); ट्राइफेड द्वारा विभिन्न शोध संस्थानों के सहयोग से लघु वन उपजों से मूल्य वर्धित उत्पाद के परिणाम की सूचना; जनजातीय उत्पादों/उपजों के विकास एवं विवरण के लिए संस्थागत सहायता (खुदरा विपणन), कला एवं सिल्क (हाथ से बने वस्त्र, धातु एवं लोहा से बने सामाग्री, जैविक खाद्य पदार्थ, जनजातीय चित्रकला, जनजातीय आभूषण, मिट्टी के बर्तन व टेराकोटा, बेंत व बांस से बनी वस्तुएँ, उपहार एवं सजावटी सामान इत्यादि; ट्राईब्स इंडिया – आउटलेट (वर्तमान में 117), भंडार (नई दिल्ली एवं नोएडा के संबंध में) एवं हवाई अड्डों पर ट्राईब्स इंडिया (वर्तमान में 8) की सूचना; वर्ष 2023-24 में आयोजित कार्यक्रम (जिसमें आदिबाजार, आदिमहोत्सव एवं आदिचित्र शामिल हैं); आदिमहोत्सव, 2023 व 2024, नई दिल्ली की झलक जिसका उदघाटन माननीय प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः किया गया; डिजिटलीकरण एवं ई-कॉमर्स के संबंध में सूचना; पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और रसद विकास (PTP-NER) के लिए (ट्राईफेंड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय व भारतीय डाक के बीच एक सहयोगात्मक पहल है – इस प्रकरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय दिनांक 29.03.2023 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं); PTP-NER का उद्देश्य एवं वर्तमान स्थिति (जिसमें बताया गया कि, 8 राज्यों के 66 जिलों में क्रियान्वयन किया जा

रहा है); ट्राईफेड की वित्तीय स्थिति – ट्राईफेड द्वारा PMJVM योजना के लिए तथा ट्राईफेड द्वारा NER (SFC अनुमोदन के अनुसार) योजना के लिए पंचवर्षीय वित्तीय अनुमान (वर्ष 2021-22 से 2025-26); ट्राईफेड अनुदान विश्लेषण (जिसमें जनजातीय उत्पादों/उपजों के विकास व विपणन के लिए संस्थागत सहायता वर्ष 2017-18 से 2021-22, न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपजों के विपणन के लिए तंत्र व MFP के लिए मूल्य श्रंखला का विकास हेतु वर्ष 2017-18 से 2021-22, प्रधान मंत्री जन जातीय विकास मिशन योजना वर्ष 2022-23 से 2023-24 तथा PTP-NER के लिए वर्ष 2021-22 से 2023-24 शामिल हैं)।

6. आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों ने प्रस्तुतीकरण पर निम्नवत बिन्दुओं पर ध्यान देने को कहा:

1. ट्राईफेड में कार्यरत अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों के लिए, रोस्टर को DoPT से सलाह लेकर अपडेट (update) करने की आवश्यकता है।
2. ट्राईफेड को वन-धन योजना को अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतु, स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने की आवश्यकता है।
3. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में प्रतिवर्ष (आदिमहोत्सव, आदिबाजार एवं आदिचित्र) मेला करने की आवश्यकता है।
4. लघु वन उपजों के लिए MSP का संशोधन तथा वस्तुओं को शामिल करने की आवश्यकता है।
5. जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़ राज्य) में मैदा की फसल को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
6. साल का बीज, महुआ का फूल तथा अरहर की दाल, जो जिला - गुमला (झारखंड राज्य) का प्रसिद्ध स्थानीय भोजन है, को प्रोत्साहन तथा प्रसारण की आवश्यकता है।
7. दूरदराज क्षेत्रों में श्रीअन्न द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
8. ट्राईफेड द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रधान राज्यों में परिक्रामी निधि का आवंटन करने की आवश्यकता है।
9. ट्राईफेड द्वारा आयोजित आदिवासी महोत्सव एवं अन्य कार्यक्रमों को अनुसूचित क्षेत्रों (संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अनुसार) तथा जनजातीय क्षेत्रों (संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार) के प्रत्येक जिलों एवं स्वायत्त जिला परिषदों में कराने पर बल देने की आवश्यकता है।
10. ट्राईफेड के लिए एक स्वतंत्र प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करने पर शीघ्र विचार करने की आवश्यकता है, जो ट्राईफेड का तथा देश के अनुसूचित जनजातियों का विकास में सहायक होगा।

दिनांक 23.04.2024 को श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में ट्राइफेड (TRIFED) द्वारा कि गयी प्रस्तुतीकरण मे उपस्थित अधिकारियों कि सूची:

क्रम संख्या	**नाम**	**पद**
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग		
1.	श्री निरूपम चकमा	सदस्य
2.	डॉ. आशा लकड़ा	सदस्या
3.	श्री जाटोतु हुसेन	सदस्य
4.	श्रीमति अलका तिवारी	सचिव
5.	श्री के. तउथांग	संयुक्त सचिव
6.	श्रीमति मिरांडा इंगुदम	निदेशक
7.	श्री आर. एस. मिश्र	अनुसंधान अधिकारी
8.	श्री आकाश त्रिपाठी	अन्वेषक
ट्राइफेड (TRIFED)		
1.	श्री टी. आर. पाइते	प्रबंध निदेशक
2.	श्री भास्कर झा	वरिष्ठ प्रबन्धक (Mkt./Admin.)
3.	श्री एस. कश्यप	वरिष्ठ प्रबन्धक (PVTG/PTP[NER])
4.	श्री संदीप पहलवान	उप – महाप्रबंधक
5.	श्रीमति प्रीति टोलिया	उप – महाप्रबंधक (MFP/Finance)
6.	श्री ओम प्रकाश	उप-प्रबन्धक
7.	श्री नरेश भुगरा	उप-प्रबन्धक
8.	श्री विकास शर्मा	वरिष्ठ प्रबन्धक